सार-समाचार

पीपीएल-2023 का आगाज 27 को

जयपुर (कासं)। पिंकसिटी प्रेस क्लब में शुक्रवार को प्रेस प्रीमियर लीग-2023 की टीमों का ड्रॉ निकाला गया। इस अवसर पर पीपीएल खिलाड़ियों की ड्रेस का विमोचन किया। क्लब अध्यक्ष मुकेश मीणा ने बताया कि ड्रॉ के जरिए चार पूल बनाएं गए। पूल ए में फर्स्ट इण्डिया, जी न्यूज राजस्थान, दैनिक भास्कर, नेशनल इलेवन पूल बी में सच बेधड़क, ए-वन पैंथर, फर्स्ट इण्डिया ब्लू, चौक मीडिया, पूल सी में दैनिक नवज्योति, प्रेस क्लब स्टार, सियासी भारत, प्रेस क्लब इलेवन, पूल डी में महानगर टाइम्स, न्यूज-18, टाइम्स ऑफ इण्डिया शामिल है। लीग मैचों का शिड्यूल जारी किया गया। क्लब महासचिव रघुवीर जांगिड़ ने बताया कि इस लीग में प्रतिष्ठित समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की 15 टीमें भाग ले रही है। लीग का उद्घाटन मैच 27 फरवरी 2023 को के.एल. सैनी स्टेडियम में दैनिक भास्कर बनाम नेशनल मीडिया के बीच प्रातः 9 बजे खेला जाएगा।

अनुरक्षण कार्य हेतु रेल यातायात प्रभावित

रेलसेवाएं मार्ग परिवर्तित/रीशड्यूल रहेगी

जयपुर (कासं)। उत्तर रेलवे द्वारा दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ सिटी-सहारनपुर रेलखण्ड के देवबन्द स्टेशन पर अनुरक्षण कार्य हेतु के लिए नॉन इण्टरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इस कार्य हेतु रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार मार्ग परिवर्तित रेलसेवाएं (प्रारम्भिक स्टेशन से) गाडी संख्या 19565, ओखा-देहरादून रेलसेवा जो दिनांक 24.02.23 एवं 03.03.23 (02 ट्रिप) को ओखा से प्रस्थान करेगी वह रेलसेवा परिवर्तित मार्ग वाया नई दिल्ली-तिलकब्रिज-नोली-शामली-टपरी होकर संचालित होगी। पूर्व में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह रेलसेवा दिनांक 24.02.23 को उपरोक्त मार्ग अनुसार संचालित होनी थी, परन्तु अब यह रेलसेवा दिनांक 24.02.23 एवं 03.03.23 उपरोक्त मार्ग से संचालित होगी।

रीशड्यूल रेलसेवाएं: गाडी संख्या 19032, योगनगरी ऋषिकेश- अहमदाबाद एक्सप्रेस रेलसेवा दिनांक 01.03.23 व 02.03.23 को योगनगरी ऋषिकेश से अपने निर्धारित समय से 01 घंटे 30 मिनट देरी से 16.25 बजे प्रस्थान करेगी। पूर्व में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह रेलसेवा दिनांक 27.02.23 व 28.02.23 को रीशड्यूल होनी थी, परन्तु अब यह उपरोक्त अवधि अनुसार रीशड्यूल रहेगी। एवं 27.02.23 एवं 28.02.23 को नियमित समय-सारणी अनुसार संचालित होगी।

टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदकों को दी बड़ी राहत

अब आवेदक छह माह तक कर सकेंगे आक्षेप पूर्ति

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत मैरिट सूची में शामिल अभ्यर्थी 28 फरवरी तक करें कोचिंग ज्वाइन

जयपुर (कासं)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली द्वारा विभाग की महत्वपूर्ण योजना 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' के आवेदकों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। जूली ने बताया कि अब योजना के अन्तर्गत आवेदक उनके आवेदन में लगाए गए आक्षेपों की पूर्ति तीन माह के स्थान पर छः माह में कर सकेंगे। साथ ही इस संबंध में आवेदकों को विभाग की ओर से भिजवाये जाने वाले मैसेजों की संख्या भी तीन से बढ़ाकर छः मैसेज की गई है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से अल्प आय वर्ग के आवेदकों को आशातीत लाभ होगा। इस व्यवस्था से पूर्व में 90 दिवस में आक्षेप पूर्ति नहीं कर पाने के कारण स्वतः निरस्त हुए आवेदनों में से लगभग 8,000 आवेदन पुनः रोलबैक होंगे, जिससे इन आवेदकों को पुनः आक्षेप पूर्ति का अवसर दिया जाकर लाभान्वित किया जा सकेगा। इसके साथ ही जूली ने बताया कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 हेतु जारी मैरिट सूची में से अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी सम्बन्धित कोचिंग संस्थाओं में 28 फरवरी तक अपनी उपस्थिति दिया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि उसके उपरान्त उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे और प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को मौका देते हुए उनके ऑनलाईन आवेदन पत्र सम्बन्धित कोचिंग संस्थाओं में प्रदर्शित हो जायेंगे।

उत्तर पश्चिम रेलवे पर मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन

2304 रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों ने करवाई स्वास्थ्य जॉच

जयपुर (कासं)। उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय तथा जोधपुर मण्डल में आज दिनांक 24.02.2023 को मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 2304 रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों ने स्वास्थ्य जाँच करवाई। उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार मुख्यालय में कार्यरत रेलकर्मियों के लिए केन्द्रीय चिकित्सालय उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर के तत्वाधान में आयोजित मेगा चिकित्सा जाँच शिविर का उद्घाटन गौतम अरोड़ा, अपर महाप्रबन्धक-उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा डॉ. पी. के. सामंतराय, प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक/उत्तर पश्चिम रेलवे, डॉ. लक्ष्मी मीना, मुख्य स्वास्थ्य निदेशक एवं डॉ. पी. सी. मीना, चिकित्सा निदेशक /केन्द्रीय चिकित्सालय की उपस्थिति में किया। इस शिविर में मुख्यालय में कार्यरत 207 अधिकारियों एवं 552 कर्मचारियों ने स्वास्थ्य जाँच करवाई। जोधपुर मण्डल पर भी 28 अधिकारियों एवं 1517 कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के दौरान हृदय रोग, स्त्री रोग, कैंसर रोग, क्षय रोग, स्नायु रोग, नाक कान गला रोग, डायटीशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, फिज़िओथेरेपिस्ट, उदर रोग विशेषज्ञ एवं चर्म रोग विशेषज्ञों द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की गयी। शिविर के दौरान रक्त जांच, बीएमडी, ईसीजी तथा कैंसर स्क्रीनिंग की सुविधायें भी उपलब्ध कराई गयी।

निगम हैरिटेज की सतर्कता शाखा की अतिक्रमणों के विरूद्ध कार्रवाई

प्रमुख बाजारों व मार्गो से हटाये अतिक्रमण, परकोटे क्षेत्र से 3 ट्रक सामान जब्त

जयपुर (कासं)। नगर निगम जयपुर हैरिटेज की सतर्कता शाखा परकोटे के बाजारों व मुख्य मार्गो में से अस्थायी अतिक्रमण हटाने हेतु ताबड़तोड़ कार्रवाईयां कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को सतर्कता शाखा ने उपायुक्त सतर्कता नीलकमल मीणा के निर्देशन में मय पुलिस जाप्ते के बडी चौपड से होते हुए हवामहल के सामने, चांदी की टकसाल, सुभाष चौक से जोरवर सिंह गेट के पास एवं जलमहल ग्रामीण पुलिस लाईन के पास से अतिक्रमण हटाये। कार्रवाई के दौरान सतर्कता शाखा ने 03 ट्रक सामान जब्त कर जनता मार्केट गोदाम में जमा करवाया गया।

राजस्थान को मिला बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड

जयपुर (कासं)। इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा दिल्ली में आयोजित टूरिज्म एण्ड सर्वे अवार्ड समारोह में राजस्थान को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड के लिए चुना गया है। इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा विभिन्न मानकों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान को इस अवार्ड के लिए चुना गया। देश की सबसे दर्शनीय सड़कों की श्रेणी में राजस्थान की उदयपुर से जोधपुर के मध्य बनी सड़क को देश की सबसे दर्शनीय सड़क के लिए मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड मिला है। कार्यक्रम में मुख्य अथिति केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने यह अवार्ड पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ को प्रदान किया। इस दौरान आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ भी उपस्थित रहे।

संवैधानिक अधिकारों के साथ कर्तव्य पालन के लिए भी प्रतिबद्ध रहें युवा : राज्यपाल

जयपुर (कासं)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, तो कर्तव्य भी बताए हैं, युवाओं में इस भाव का बोध कराना बहुत आवश्यक है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे संवैधानिक अधिकारों के साथ कर्तव्य पालन के लिए भी प्रतिबद्ध रहें।

राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुक्रवार को राजभवन में नेहरू युवा केन्द्र, जयपुर के आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत देशभर से आए युवाओं से मुलाकात करते हुए यह विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति एवं साहस के पुंज होते हैं, वे देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। गांवों में युवा मंडलों का नेटवर्क स्थापित करके नेहरू युवा केन्द्र संगठन इसी शक्ति को सही दिशा दे रहा है। राज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण के लिए आदिवासी समुदाय में पारम्परिक रूप से किए जाने वाले कार्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के लिए अपनी-अपनी विशिष्ट परम्पराएं चली आ रही हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत इन परम्पराओं के संरक्षण का कार्य होना चाहिए। उन्होंने आदिवासी युवाओं की नैसर्गिक प्रतिभाओं के विकास हेतु उचित अवसर उपलब्ध कराए जाने पर भी बल दिया। राज्यपाल मिश्र ने नेहरू युवा केन्द्र द्वारा आदिवासी युवा आदान-प्रदान आवासीय शिविर के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों में दूर-दराज के ग्रामीण अंचल के युवाओं को देश की विविधता को समझने का मौका मिलता है।

उन्होंने कहा कि जीवन व्यवहार की सीख के साथ-साथ विभिन्न सृजनात्मक गतिविधियों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व और कौशल विकास का अवसर भी इन आयोजनों में मिलता है।

विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा के सफल आयोजन हेतु किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए - कलक्टर

5 दिनों तक 9 पारियों में आयोजित होगी अध्यापक भर्ती परीक्षा

जयपुर (कासं)। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 25 फरवरी से 01 मार्च तक प्राथमिक (लेवल-प्रथम) एवं उच्च प्राथमिक (लेवल-द्वितीय) विद्यालय अध्यापक (सामान्य/ विशेष) सीधी भर्ती परीक्षा-2022 का आयोजन 9 पारियों में किया जाएगा। प्रथम पारी की परीक्षा का आयोजन प्रात: 09:30 से 12:00 बजे तक एवं द्वितीय पारी की परीक्षा का आयोजन दोपहर 03:00 बजे से सांय 05:30 बजे तक किया जाएगा। 1 मार्च को केवल एक ही पारी में परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने कहा कि परीक्षा के सफल संचालन एवं सुचारू रूप से आयोजित करवाने के लिए किसी कार्मिक के द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। सभी कार्मिक पूर्ण सावधानी के साथ अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए परीक्षा संपन्न करवाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें।

187 परीक्षा केन्द्रों पर 3 लाख 69 हजार 744 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा : जिला कलक्टर ने बताया कि जयपुर में परीक्षा के लिए कुल 187 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं जिनमें 68 सरकारी एवं 119 निजी शिक्षण संस्थान है। जिनमें 3 लाख 69 हजार 744 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। उन्होंने स्ट्रांग रूम, परीक्षा केन्द्र एवं ओएमआर संग्रहण केन्द्र को सीसीटीवी कैमरे एंव सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिये। परीक्षा हेतु 187 केन्द्राधीक्षक, 56-56 पेपर कॉर्डिनेटर, 37 फ्लाइंग कम ओएमआर कॉर्डिनेटर, 306 पर्यवेक्षक नियुक्त किये गये है।

जयपुर में बनाये गए चार अस्थाई बस स्टैंड- अध्यापक परीक्षा के आयोजन के दौरान कानून व्यवस्था एवं यातायात के सफल एवं सुचारू संचालन हेतु जयपुर शहर में 4 अस्थाई बस स्टैंड बनाये गए हैं। जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर रोडवेज बस स्टेण्ड, टोंक रोड़ स्थित तारों की कूंट, अजमेर रोड स्थित बदरवास नारायण विहार तिराहा, सीकर रोड स्थित विद्याधर नगर स्टेडियम पर अस्थाई बस स्टेंड बनाए गए हैं।

परीक्षा से एक घंटे पूर्व ही परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में प्रविष्ट होंगे- उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित की गई कोविड-19 की गाइड लाइन की पूर्ण पालना करनी होगी। परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने के डेढ़ घंटे पहले तक परीक्षा केन्द्र तक पहुंचना होगा एवं परीक्षार्थी को परीक्षा से एक घण्टे पूर्व तक ही परीक्षा केन्द्र में प्रविष्ट होने की अनुमति दी जाएगी। उसके बाद में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परीक्षार्थी को शर्ट, बिना जेब वाली गर्म जर्सी/स्वेटर जिसमें बड़े बटन ना लगे हों पहनकर आना होगा। कोट, टाई, मफलर, जाकेट, जरकिन, ब्लेजर, शॉल, मौजे पहनकर आने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परीक्षा केन्द्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लुटूथ या अन्य कोई इलेक्ट्रोनिक उपकरण घड़ी आदि किसी प्रकार का आभूषण पर्स, हैण्डबैग, डायरी इत्यादि लाना निषेध है।

'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' का आयोजन 27 को

जयपुर (कासं)। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन आगामी सोमवार, 27 फरवरी को किया जायेगा। चिकित्सा संस्थानो पर आयोजित होने वाले सुरक्षित मातृत्व दिवस पर उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उनका ईलाज करने के साथ पोषण युक्त आहार की जानकारी प्रदान की जायेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉ. बी. एल. मीणा ने बताया कि सोमवार, 27 फरवरी को चिकित्सा संस्थानों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के आयोजन में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें गर्भ में पल रहे शिशु और स्वयं की देखभाल के बारे में बताते हुए पोषण युक्त आहार के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसमे गर्भवती महिलाओं के हिमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, शुगर, लंबाई, एचआईवी, सिफलिश आदि जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं को गुणवत्ता युक्त प्रसव पूर्व जांच सुविधाएं देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया जाता है, जिससे गर्भावस्था व प्रसव के दौरान जोखिम को कम करने में मदद मिल सके।

54 किलो 300 ग्राम पॉलीथीन जब्त

जयपुर (कासं)। हैरिटेज निगम की स्वास्थ्य शाखा ने उपायुक्त स्वास्थ्य आशीष कुमार के निर्देशन में सिंगल यूज प्लास्टिक जब्ती अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 54 किलो 300 ग्राम पॉलीथीन जब्त करने व 51 हजार कैरिगं चार्ज वसूलने में सफलता हासिल की। उपायुक्त स्वास्थ्य आशीष कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य दस्ते ने गुरूवार को 26 किलो पॉलीथीन जब्त कर 83 हजार 500 का कैरिंग चार्ज वसूला था।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
कार्यालय चित्तौड़गढ़ आगार

निविदा सूचना

केन्द्रीय बस स्टेण्ड चित्तौड़गढ़ पर होर्डिंग्स,पीलर्स बोर्ड एवं साईन बोर्ड पर विज्ञापन लगाने के लिये निगम नियमानुसार पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सी से एवं साईकिल स्टेण्ड मोबाईल शोप एवं अन्य स्टॉल हेतु निर्धारित प्रपत्र में निविदा आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु कार्यालय समय में दिनांक 27.02.2023 समय 14:00 बजे तक सम्पर्क कर पुन : 15:00 बजे तक स्वीकार किये जाकर प्राप्त निविदाये 15:30 पर खोली जावेगी। निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाईट www.transport.rajasthan.gov.in एवं sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। UBN :-RTC2223SLOB00671

विज्ञापन संख्या 291 / 2022--23
राज.संवाद / सी / 22 / 15042
मुख्य प्रबन्धक

आवश्यकता

निम्नों पदों पर तुरंत आवश्यकता है सूरत, गुजरात में अग्रणी रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी को निम्न की आवश्यकता है:-

1) पाईलिंग हैम्मर मशीन ऑपरेटर-3 अदद
2) ऑगर मशीन ऑपरेटर-3 अदद
3) साईट इंजीनियर-4 अदद (रेलवे पी-वे ट्रैक कार्यों/रेलवे ट्रैक प्रोजेक्टों में अनुभव के साथ)

*तुरंत ज्वाईन करने वाले को वरीयता दी जाऐगी *अच्छा वेतन व लाभ सुनिश्चित

पाटिल रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राई. लि.
www.patilgroup.com संपर्क करें : 8435970988
ईमेल : ravindranath@patilgroup.com

एस.के.फाइनेंस लिमिटेड

शाखा कार्यालय स्थानान्तरण करने हेतु सार्वजनिक सूचना

सर्वसूचित किया जाता है कि कम्पनी प्रबंधक के निर्णयानुसार हम अपनी **चौमूं शाखा** को नये पते पर स्थानान्तरित कर रहे हैं-
पुराना पता- भूतल, नवदुर्गा मंदिर के पास, जयपुर रोड, तहसील- चौमूं, जिला- जयपुर- 303603 (राज.)
नया पता- श्री राम प्लाजा, बाबा की दरगाह के पास, आर.के. फ्रैक्चर हॉस्पिटल एवं ट्रोमा सेन्टर के सामने, जयपुर रोड, चौमूं, जिला- जयपुर-303603 (राज.)
अतः हम अपने सभी ग्राहकों से अनुरोध करते है कि भविष्य में हमारी किसी भी तरह की लोन सुविधाओं के लिए हमारे नये पते पर संपर्क करें।

कार्यालय नगर परिषद गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

क्रमांक-9851 दिनांक: 24/2/23

सार्वजनिक आपत्ति विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे लिखित आवेदकों के आगे वर्णित स्थान पर 69ए के तहत पट्टा चाहा गया है जो निम्न है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	राजस्व ग्राम	क्षेत्रफल वर्गगज	आवासीय /व्यावसायिक
1.	अमजद खान पुत्र शहाबुद्दीन खान	वार्ड नं. 18 सूरसागर तैली मोहल्ला	35.70	आवासीय

अतः जिस किसी व्यक्ति को उक्त खसरा नम्बरों में पट्टा देने में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो 7 दिवस में परिषद में उपस्थित होकर लिखित रूप में पेश कर सकते है। अंदर अवधि में आपत्ति पेश नहीं होने पर आवेदक कर्ता को भूमि का नियमानुसार आवासीय/व्यावसायिक पट्टा जारी करने की कार्यवाही की जाएगी इसके पश्चात कोई भी आपत्ति नहीं सुनी जायेगी। सूचित रहे।

आयुक्त
नगर परिषद गंगापुर सिटी

ICICI Home Finance

कॉर्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई होम फायनान्स कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400059, भारत
शाखा कार्यालय : पहली मंजिल, जी.के. टॉवर, प्लॉट नं. 14, सादुल कॉलोनी, अम्बेडकर सर्किल, बीकानेर-334001

(नियम 8(6) के प्रावधान देखें)
अचल मालमत्ता के बिक्री के लिए सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।
एतद्द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से ऋणी (ओं) और गारंटीकर्ता (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी / प्रभारित की गई है, जिसका भौतिक कब्जा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है' पर नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण के अनुसार बेचा जाएगा।

अनु. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानतदार का नाम/कानूनी उत्तराधिकारी कर्ज खाता क्र.	प्रतिभूत मालमत्ता के साथ ज्ञात भार, कुछ हो तो तपशील	बकाया रकम	आरक्षित मूल्य रु. में / बयाना राशि जमा रु. में	मालमत्ता परीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि एवं समय
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)
1.	राहुल पवार (कर्जदार), मीनाक्षी पवार (सह-कर्जदार) कर्ज खाता क्र. एलएचबीकेआर00001325351	फ्लेट नं.-51 ब्लॉक 3, दूसरी मंजिल ग्रीन लोटस- विंग ई मोजा अमरपुरा तहसील और जिला खसरा नं. 85 नागौर	रु. 9,96,384/- 20 फरवरी, 2023	रु. 9,25,219/- / रु. 92,530/-	दि. 24 मार्च, 2023 को 11.00 से 3.00 बजे	दि. 29 मार्च, 2023 को 2.00 से 3.00 बजे

ऑनलाइन निलामी हमारी निलामी एजन्सी ग्लोब टेक (यूआरएल लिंक https://BestAuctionDeal.com) के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। निलामी रखने वाले/सूचना कुल बकाया रकम का 28 मार्च, 2023 को शाम. 5.00 बजे तक आगे के ब्याज के साथ प्रदान करने के लिए सूचना दी जाएगी अन्यथा, सदर प्रतिभूत मालमत्ता की अनुसूची अनुसार बिक्री की जाएगी।
प्रस्तावित बोलीदार सदर बयाना राशी जमा के साथ (रकाना क्र. ई) में संदर्भित) मुहरबंद लिफाफा में सुपरस्क्राईब्ड मालमत्ता के खरीद के लिए प्रस्ताव उनके प्रस्ताव आईसीआईसीआई होम फायनान्स कंपनी लिमिटेड, उत्तरी भाग, पहली मंजिल, जी.के. टॉवर, प्लॉट नं. 14, सादुल कॉलोनी, अम्बेडकर सर्किल, बीकानेर-334001 तहत दि. 28 मार्च, 2023 को 4.00 बजे तक भेजे एवं पेश करें। कृपया प्रस्तावित बोलीदार उपरी निर्देशित समय के अनुसार उनके प्रस्ताव निविदा दस्तावेज के स्वाक्षरीकृत प्रत आईसीआईसीआई होम फायनान्स कंपनी लिमिटेड, उत्तरी भाग, पहली मंजिल, जी.के. टॉवर, प्लॉट नं. 14, सादुल कॉलोनी, अम्बेडकर सर्किल, बीकानेर-334001 तहत दि. 28 मार्च, 2023 को शाम. 5.00 बजे के पहले पेश करें। बयाना रकम जमा ड्राफ्ट (डीडी) राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड बैंक से योग्य निलामी आयोजक आईसीआईसीआई होम फायनान्स कंपनी लि. - निलामी के नाम से जारी तहत पेश करें।
जांच के संबंध में अधिक जानकारी के लिए, निलामी के नियम एवं शर्ते एवं निविदा को पेश करने के लिए कृपया आईसीआईसीआई होम फायनान्स कंपनी लिमिटेड के मो. क्र. 7021072869 पर या हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग पार्टनर नेक्सजेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पर सम्पर्क करें
प्राधिकृत अधिकारी के पास कोई भी कारण न देता सर्व बोली रद्द करने का अधिकार आरक्षित है।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया आईसीआईसीआई बैंक लि. के वेबसाइट https://www.icicihfc.com/ से सम्पर्क करें।

दिनांक : 25 फरवरी, 2023
स्थान : नागौर
प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई होम फायनान्स कंपनी लिमिटेड

G20
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

नई दिल्ली
विश्व पुस्तक मेला
25 फरवरी - 05 मार्च 2023
प्रगति मैदान, नई दिल्ली | प्रात: 11 : 00 बजे से रात्रि 8 : 00 बजे तक

उद्घाटन
25 फरवरी 2023
अपराह्न 2:30 बजे, हॉल 3 प्रथम तल

2000 स्टॉल
800 प्रकाशकों
600 कार्यक्रम
40 देश

विशेष आकर्षण
•20 मंडप •नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 •लेखक मंच •युवा मंच
•बाल मंडप •सांस्कृतिक कार्यक्रम •अंतराराष्ट्रीय गतिविधि मंच •थीम मंडप

हॉल नं. 2,3,4,5(भूतल), हॉल नं. 4(प्रथम तल) और एम्फीथिएटर

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज-II, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070, दूरभाष : 011-26707798
देश का नॉलेज पार्टनर
CBC 21103/12/0081/2223

CENTRUM Home Loans
कॉर्पोरेट एवं पंजीकृत कार्यालय : यूनिट क्र. 801, सेंट्रम हाऊस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई 400 098. सीआईएन क्र. U65922MH2016PLC273826
मांग सूचना

सीक्युरिटायजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल असेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सीक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के सीक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3(1) सहवाचन अनुच्छेद 13(2) अंतर्गत

सेंट्रम हाऊसिंग फायनान्स लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरित सीक्युरिटायजेशन एन्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल असेट्स एन्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सीक्युरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 (सदर कायदा) अंतर्गत सीक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 सहवाचन अनुच्छेद 13(2) अनुसार प्राप्त अधिकार के साथ निम्न निर्देशित संबंधि को मांग सूचना/ जारी करने के लिए निम्न निर्देशित रकम का पुन:प्रदान निम्न कर्जदार (सदर कर्जदार) को सदर एक्ट के अनुच्छेद 13(2) अंतर्गत मांग सूचना जारी की गई थी।
ऊपरी अनुसार सूचना इस प्रकार दी जाती हैं की, सदर कर्जदार सेंट्रम हाऊसिंग फायनान्स लि. को निम्न निर्देशित रकम का प्रदान सदर मांग सूचना के प्रकाशन से 60 दिन के अंदर सम्पूर्ण थकित के पुन:प्रदान के तिथि से अधिक ब्याज एवं अन्य प्रभार के ब्याज के साथ प्रदान करें। सदर मांग सूचना में निर्देशित अनुसार निम्न निर्देशित तिथि से प्रदान एवं/या पुन:प्रदान की तिथि तक सदर कर्जदार के द्वारा अंमल के लिए कुछ हो तो अन्य दस्तावेज/ लेखी स्वरूप में कर्ज करार के अंतर्गत प्रदान करें. कर्ज का पुन:प्रदान की तिथि से प्रतिभूती के लिए सेंट्रम हाऊसिंग फायनान्स लि. के पास सदर कर्जदार द्वारा गिरवी रखा था।

अनु. सं.	कर्जदार/ सह -कर्जदार/ जमानतदार का नाम/ कर्ज खाता क्र./ शाखा	कुल थकित रकम रु.	एनपीए तिथि / अनुच्छेद 13(2) सूचना तिथि / एफसीएल तिथि	प्रतिभूत मालमत्ता का विवरण (अचल मालमत्ता)
1.	धनवंती कंवर/ शंभू सिंह/ रेणु कंवर/ जेएआईजेए18002526/ जयपुर	रु. 995388/- (रु. नौ लाख पंचानवे हजार तीन सौ अट्ठासी मात्र)	08.01.2023 13.02.2023 24.02.2023	फ्लेट क्र. एफ-2, पहली मंजिल, मोज. 715.61 चौ. फूट, प्लॉट क्र. आई-110, मंगलम सिटी विस्तार, ब्लॉक 1, ग्राम पीठवास, निवारू (शाथेज), कालवाड़ रोड, तहसील एवं जिला जयपुर, जयपुर 302 012 राजस्थान सीमा : पूर्व : प्लॉट क्र. आई-105, पश्चिम : 30 फूट चौड़ा रास्ता, उत्तर : प्लॉट क्र. आई-109, दक्षिण : प्लॉट क्र. आई-111.

अगर सदर कर्जदार अगर सेंट्रम हाऊसिंग फायनान्स लि. का प्रदान न करें तो सदर सेंट्रम हाऊसिंग फायनान्स लि. सदर कर्जदार को किसी भी मूल्य एवं खबरदारी पर एक्ट एवं लागू नियम एवं सम्पूर्ण जोखिम पर अनुच्छेद 13(4) अंतर्गत उपरी प्रतिभूत मालमत्ता के साथ प्रक्रिया करें। सदर कर्जदार प्रतिभूत मालमत्ता के हस्तांतरण करने से एक्ट के अंतर्गत प्रोहिबीटेड कर सेंट्रम हाऊसिंग फायनान्स लि. को पूर्व लिखीत अहवाल के बिना ही बिक्री, किराया एवं अन्य मार्फत हस्तांतरण करें। किसी भी व्यक्ती को सदर एक्ट के अंतर्गत प्रदानित सदर एक्ट एवं नियम के प्रावधान अंतर्गत कॉन्ट्रावेंसेस एवं अवेद्स कोन्ट्रावेंशन के साथ कानून कारवाई एवं दंड दिया जाएगा।

स्थान : राजस्थान
दिनांक : 25.02.2023
हस्ता/-
प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रम हाऊसिंग फायनान्स लि. के लिए